राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 789/2011/अलवर

मैसर्स मैग्नम एलॉयज,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाडी। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता–प्रथम, भिवाडी। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री दिनेश कुमार,
अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 02/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या रेस्टो. 08/226–ए/आरवेट/2008–09/09–10/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 28.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उडनदस्ता, भिवाडी–प्रथम (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2008 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 1,00,800/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी ने वाहन संख्या आर.जे.–14/2जी.–9394 को रोक कर चैक किया, जिसमें 'सिलिका मैगनीज' दिल्ली से भिवाडी परिवहनित किया जा रहा था। सशक्त अधिकारी के मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि माल के साथ आवश्यक घोषणा–पत्र वैट–47 नहीं है। इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा करापवंचन का सन्देह होने पर वाहन को मय माल निरूद्ध किया जाकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब मय वैट–47 नं.–3986826 पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल 'सिलिका मैगनीज' कीमतन रूपये 3,36,000/– पर अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 1,00,800/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील

लगातार.....2

प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि परिवहनित माल के साथ वांछित समस्त दस्तावेज वक्त चैकिंग मौजूद थे। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा विशिष्ट रूप से राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त पत्र के द्वारा राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि अधिसूचित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान घोषणा प्रारूप वैट–47 व प्रारूप वैट–49 माल के साथ संलग्न नहीं होने पर भी व्यवहारियों के विरूद्ध शास्ति का आरोपण नहीं किये जाये। उक्त निर्देश दिनांक 27.02.2009 तक प्रभावी थे। माननीय उच्च न्यायालय एवं कर बोर्ड के निर्णयों में भी राज्य सरकार के पत्र को ध्यान में रखते हुए प्रारूप वैट–47 व प्रारूप वैट–49 साथ में नहीं होने पर भी शास्ति आरोपण को अविधिक बताया है। आगे अपने कथन में उन्होने कहा कि इस पत्र के पश्चात् भी सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी पर शास्ति का आरोपण कर दिया, जो कि न्यायविरूद्ध है, एवं प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि उपरोक्त प्रकरण में राज्य सरकार की पत्र एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008 जारी की गई थी, जो सही है।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् दिनांक 05.11.2008 को अभियोग बनाया गया था, एवं माल के साथ वैट–47 नहीं होने पर भी राज्य सरकार का पत्र पत्र संख्या एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008 लागू होता है। उक्त निर्देश दिनांक 27.02.2009 तक प्रभावी थे। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध शास्ति का आरोपण नहीं हो सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कर बोर्ड के निर्णय इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होते है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28.12.2010 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष